



अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ से संबंधित पॉलिसी:-  
सारणी क्रमांक 1

श्रेणी	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	<p>I. भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व</p> <p>II. अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व</p> <p>III. भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।</p> <p>IV. अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।</p> <p>V. विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <p>VI. सीबीएसई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता / उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।</p>	<p>सर्वोच्च प्राथमिकता एवं अधिकतम अंको का 7 प्रतिशत / परसेन्टेइल एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटें</p>
ब	<p>I. पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल का सदस्य</p> <p>II. राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त करने पर</p> <p>III. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) / नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) / आईपीएस / सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता / उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</p> <p>IV. सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)</p>	<p>अधिकतम अंको का 7 प्रतिशत / परसेन्टेइल</p>
स	<p>I. भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय</p>	अधिकतम अंको



	<p>ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने पर</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>II. अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर</li> <li>III. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) / नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) / आईपीएस / सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व</li> <li>IV. सीबीएसई की क्लस्टर/जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेल हेतु विजेता/ उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</li> </ul>	का 5 प्रतिशत / परसेन्टाईल
द	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/ उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर</li> <li>II. राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</li> <li>III. विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</li> <li>IV. अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</li> <li>V. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/ क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर</li> </ul>	अधिकतम अंको का 4 प्रतिशत / परसेन्टाईल
य	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले को प्रतिनिधित्व करने पर</li> <li>II. विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर</li> <li>III. राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर</li> <li>IV. अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर</li> <li>V. सी.बी.एस.ई/ केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/ क्लस्टर/ जोन/ रीजनल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर।</li> </ul>	अधिकतम अंको का 2 प्रतिशत / परसेन्टाईल



अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा।

### सारणी क्रमांक 2

क्रं.स.	स्तर	जिनका प्रमाण—पत्र मान्य होगा
1.	सारणी क्रमांक 1 के अ (I) से (VI)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई, सी.बी.एस.ई संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी / आयोजन सचिव
2.	सारणी क्रमांक 1 के ब का (I) से (IV) एवं स का (I) से (IV)	विश्वविद्यालय कीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी / आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।
3.	सारणी क्रमांक 1 के द का (I) से (V) एवं य का (I) से (V)	राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / शिक्षा विभाग के उपनिदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी / उपजिला शिक्षा अधिकारी / आयोजन सचिव / आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।

नोट:- उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र विगत 2 शैक्षणिक वर्षों से अधिक पुराने मान्य नहीं होंगे।

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:-

### सारणी क्रमांक 3

1.	एथलेटिक्स कॉस कन्ट्री दौड़ सहित	18	जूडो
2.	जलीय खेल स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पॉलो	19	मुक्केबाजी
3	बैडमिन्टन	20	मिनी गोल्फ
4	बास्केटबॉल	21	तीरन्दाजी
5	शतंरज	22	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
6	किकेट	23	सॉफ्टबॉल
7	सइकिलिंग	24	अमेरिकन फुटबाल
8	फुटबॉल	25	नेट बॉल
9	हॉकी	26	रोलबॉल
10	कबड्डी	27	रग्बी
11	खो-खो	28	स्कॉर्चर रैकिट
12	टेबिल टेनिस	29	ताइक्वांडो



13	टेनिस	30	बुश्
14	वॉलीबॉल	31	योगा
15	हैण्डबाल	32	पवर लिफ्टिंग
16	कुश्ती	33	ब्रिज
17	भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव	34	जिमिनास्टिक

### विशेष टिप्पणी:

1. सारणी कमांक 1 में उल्लेखित श्रेणी 'अ' के बिन्दु संख्या I एवं II के अतिरिक्त उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।
2. अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता योग्यता में कोई छूट देय नहीं होगी।
3. श्रेणी 'अ' की स्थिति में :—
  - 3.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी इंटेक सीट्स में से ही अभ्यर्थी को नियमानुसार सीट आवंटित की जावेगी।
  - 3.2 अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण पद्धति के अनुसार आवंटन किया जावेगा।

संयोजक